नगरों की प्लानिंग में ठेले वालों और छोटा व्यवसाय करने वालों के लिए स्थान निर्धारित हो - मुख्यमंत्री

रतलाम। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीब की रोजी-रोटी का सही इंतजाम सर्वोपरि है। शहरों में उद्योग स्थापित हों पर इसके साथ ही हाथठेला वालों के लिए भी उचित व्यवस्था हो। शहरों की प्लानिंग में छोटे-छोटे व्यवसाय करने वालों, ठेले वालों के लिए स्थान निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान नगरीयविकास एवं आवास विभाग द्वारा जन-कल्याण और सुराज अभियान में प्रदेश के 24 नगरों में 1056 करोड़ रुपये की लागत से किए गए 69 विकास कार्यों के मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में 15वें वित्त आयोग की 299.40 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से 402 नगरीय निकायों को वितरण किया। लोकार्पित कार्यों में सीवरेज परियोजना, पेयजल योजना, बस स्टेण्ड विकास, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, उद्यानों का विकास, ट्रेफिक मैनेजमेंट, लायब्रेरी, शाला भवन, सोलर एनर्जी और प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित आवास परिसर शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय निकाय जारी ग्रांट का उपयोग स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल पूर्ति, और जल संरक्षण पर करेंगे।

407 नगरीय निकाय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े- कार्यक्रम कन्या-पूजन और मध्यप्रदेश गान के साथ आरंभ हुआ। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मनीष सिंह कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकाय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय गतिविधियों तथा भविष्य की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।

प्रधामनंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपनों का भारत बनाना है- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, पीएम आवास तथा पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने नगरीय विकास को नए आयाम और नई गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत निर्माण हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रदेश में नगरीय विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं।

प्रदेश की 30 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अब शहरी क्षेत्र में- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहरों का आकार लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की 30 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अब शहरी क्षेत्र में रह रही है, यह संख्या और बढ़ेगी। शहरों को गंदगी, प्रदूषण, बीमारी, अपराध और माफिया मुक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शहरी क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता स्वच्छता की है। स्वच्छता के मामले में मध्यप्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश ने एक पायदान की छलांग लगाकर लगातार देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंदौर शहर ने चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है। भोपाल देश की स्वच्छतम स्वरूसंवहनीय राजधानी है। स्मार्ट सिटी मिशन में राष्ट्रीय स्तर पर 11 अवार्ड मध्यप्रदेश को मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 296 निकाय ओडीएफ प्लस आए हैं। इंदौर को देश का पहला वॉटर प्लस शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। 300 से अधिक शहरों में स्त्रोत पर ही 100 प्रतिशत कचरे का पृथक्करण, परिवहन व प्र-संस्करण तथा 75 प्रतिशत ठोस अपशिष्ठ का पुनर्चक्रण किया जा रहा है।

माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवास एक बड़ी जरूरत है। हमने संकल्प लिया है कि झुग्गीमुक्त शहरों के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पक्की छत हो, इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर सक्रिय है। माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे।

सीवेज या जलापूर्ति कार्य से खुदी सड़कों को तत्काल सुधारा जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 15 सालों के प्रयासों से शहरों के स्वरूप में बदलाव आया है। शहरों में व्यवस्थित जलापूर्ति परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं। सीवरेज प्रणाली को विकसित कर कार्यशील बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 58 हजार आवास शहरी गरीबों के लिए बनाए गए हैं।

शाकम्भरी

सा. शाकम्भरी 23/9/21

क्या कलेक्टर पुरुषोत्तम शहर में नालों पर बने अवैध निर्माण व अतिक्रमण के का
नाले बन गए नालियां, कैसे निकले पानी? अतिक्रमण को हटाने के निर्देश देंगे?

(डी.पी. अग्रवाल)

रतलाम। आम जनता में चर्चा है कि नगर निगम में वर्षों से बैठे डिप्लोमा होल्डर अधिकारियों की अनदेखी व भ्रष्टाचार के चलते तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश और सरकारी नियमों कायदों को अपने स्वार्थ सिद्ध करने की वजह से रतलाम शहर में बरसात में आम लोगों को होने वाले नुकसान का इंतजाम यहां के प्रशासक और नगर निगम की बरसों की उदासीनता से कर रखा है। शहर के प्रभावशाली लोगों और उनके देखादेख अन्य लोगों ने नालों में अतिक्रमण कर शहर में अतिरिक्त पानी के प्राकृतिक प्रवाह को ही रोक दिया। नालों पर अतिक्रमण कर आलीशान मकान बना दिए गए जैसे शास्त्रीनगर नाले पर गुरुतेग बहादुर स्कूल भवन बना दिया गया व नाले के बहाव को अवरूद्ध कर दिया गया। स्कूल व मकान बना दिए गए। इनमें से अधिकांश शहर के रसूखदार लोगों के है। इनके मकानों और निर्माणों ने विशाल नालों को नालियों में... (शेष पेज 4 पर)

नगर पालिक निगम के अधिकारियों की अनुभवहीनता के कारण तथा समय पर नालों व नालियों की सफाई नहीं करने के कारण शास्त्रीनगर व में लोगों के घरों में पानी घुसा। वर्षों से जमे बैठे डिप्लोमा अधिकारियों को रतलाम से तुरंत हटाया जाए, जनता की मांग।

सा. शाकम्भरी 27/7/21

रहवासी परेशान: कार्रवाई के नाम पर आश्वासन दे रहे जिम्मेदार

अवैध कब्जा: शहर में दशकों पहले घोंट दिया नालों का गला

पत्रिका सिटी इश्यू

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

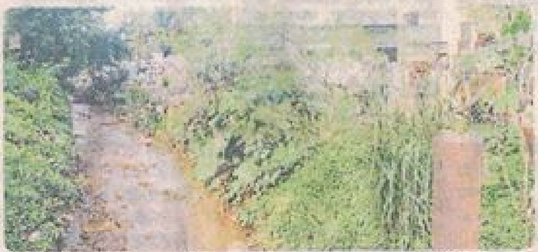

रतलाम. शहर में जब एक ही दिन में 6 इंच से अधिक बारिश हुई थी तब जवाहर नगर से लेकर लक्ष्मणपुरा तक के क्षेत्र में बारिश का पानी घुटनों तक घरों में भर गया था। इसकी वजह दशकों पहले सरकारी नालों का गला घोंटना है। जब बारिश के बाद सरकारी कारिंदे निरीक्षण के लिए निकले तो आमजन को भरोसा दिया गया कि तीन दिन में नालों के अतिक्रमण को हटाकर इसे चौड़ा किया जाएगा, लेकिन एक सप्ताह बाद यह दावा सिर्फ कोरा आश्वासन बनकर रह गया है।

शहर में कई सरकारी नालों पर अतिक्रमण करके उनको लंबाई से लेकर चौड़ाई को बदल दिया गया। स्टेशन रोड पुलिस थाने के नीचे से निकल रहा सरकारी नाला हो या जवाहर नगर लक्ष्मणपुरा क्षेत्र का सरकारी नाला, जब जब जो प्रभावशाली रहा, उसने अपनी सुविधा के लिए नालों का गला ही घोंट दिया। इसके बाद जब जब शहर में एक दिन में सामान्य से अधिक बारिश होती है, तब तब आमजन के घरों में बारिश का पानी भर जाता है। इसके बाद हर बार सिर्फ कार्रवाई के आश्वसन की पुड़िया तो पकड़ाई जाती है, लेकिन कठोर चाबुक कभी नहीं चलाया जाता है। ऐसे में हर वर्ष बारिश जब जब तेज हुई आवासों में पानी भरने की समस्या आई व अगले दिन निरीक्षण के बाद कार्रवाई का महज आश्वासन दिया गया।

स्टेशन रोड पुलिस थाने के करीब एक बड़े दुकानदार ने नाले को ही ढंक दिया व अपनी दुकान में आने जाने का रास्ता बना दिया। यहां तक की दुकानदार ने नाले का मुंह तक मोड़ दिया। जवाहर नगर में दुकानदार ने अपने हित के लिए नाले को छोटा कर दिया। इसके अलावा मोचीपुरा में नाले पर अतिक्रमण किया गया। यह सब वो स्थान है जहां पर 19 सितंबर को बारिश का पानी अतिक्रमण के चलते घर में आया। पत्रिका

> हम इंतजार कर रहे है एक बार और बारिश हो व घर में पानी आ जाए। इस बार नगर निगम के हक की भीख मांगने के बजाए आए हुए पानी में परिवार सहित जल समाधी ले लेंगे। जिससे नगर निगम के अधिकारियों को कार्रवाई का कोरा आश्वासन नहीं देना पड़े। - **निर्मला तिवारी**, रहवासी, जवाहर नगर

> बारिश के बाद शहर के कई क्षेत्रों में निरीक्षण किया है। जो गड़बड़ी सामने आई है, उसके लिए सख्त कदम उठाने जा रहे है। - **सोमनाथ झारिया**, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका 25/9/21

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को दिए निर्देश

माफियाओं पर कार्रवाई की सूची बनाए और कराए एफआईआर

रतलाम. माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। इसे लेकर मंगलवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सभी एसडीएम की बैठक लेकर उन्हे कार्रवाई के लिए निर्देश दिए है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग को शहर की सड़कों की दुरुस्ती का प्लान करने के निर्देश दिए। वहीं सड़क विकास निगम के अधिकारी को महू नीमच रोड पर गड्ढों की दुरुस्ती के लिए कहा गया।

बैठक में जावरा एसडीएम ने बताया कि उनके द्वारा जावरा शहर में तथा आसपास अवैध कॉलोनाइजरों तथा माफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है। कलेक्टर द्वारा सभी माफियाओं के विरुद्ध एफआइआर करने के निर्देश दिए गए। सैलाना एसडीएम ने बताया कि रावटी में भी नोटिस जारी किए गए हैं आलोट एसडीएम को भी एफआइआर करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बीती बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को उन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे जिनके द्वारा जल जीवन मिशन की योजनाओं में गड़बड़ी की जा रही है लेकिन पाया गया कि ठेकेदारों के विरुद्ध पीएचई द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होने कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि इस सप्ताह में यदि गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उनके खिलाफ रिपोर्ट भोपाल प्रेषित की जाएगी।

पत्रिका 29/9/21

माफिया और अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें

रतलाम | सारे माफिया और अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। लोक निर्माण विभाग सड़कों की दुरुस्ती का प्लान करे। सड़क विकास निगम महू-नीमच रोड पर गड्ढों की मरम्मत करवाए।

यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मंगलवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा करते हुए दिए। जावरा एसडीएम ने बताया अवैध कॉलोनाइजरों व माफिया की सूची तैयार कर ली है। इस पर कलेक्टर ने एफआईआर करवाने को कहा। सैलाना एसडीएम ने बताया कि रावटी में नोटिस जारी कर दिए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा जल जीवन मिशन की योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं करने पर कलेक्टर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा एक सप्ताह में ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आपके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर भोपाल भेजी जाएगी।

दै. भास्कर 29/9/21

कलेक्टर कोर्ट में सुनवाई • फर्म संचालक ने कलेक्टर कोर्ट में नगर निगम से नोटिस मिलना स्वीकार किय

बंद ही रहेगा निर्माण कार्य, सुनवाई के बाद अनुमतियां निरस्त करने की कार्रवाई शुरू

धोखे की द्वारका रेजीडेंसी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

अधिकारियों से सांठगांठ कर अनुमतियां लेकर खड़ी की जा रही द्वारका रेजीडेंसी का एक माह से बंद निर्माण कार्य अभी चालू नहीं होगा। प्रशासन ने इसकी प्रोसेस शुरू कर दी है। इतना ही नहीं अनुमतियां देने में जिन-जिन अफसरों की भूमिका रही, उनका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है।

मंगलवार को कलेक्टर कोर्ट में द्वारका रेजीडेंसी फर्म संचालकों की पहली सुनवाई भी हुई। इसमें भी धोखेबाज फर्म संचालक जितेंद्र नागल व अन्य नौटंकी करने से बाज नहीं आए। गिड़गिड़ाते हुए कलेक्टर से बोला-सर मैं सुसाइड कर लूंगा। इस पर कलेक्टर बोले आपको क्या करना है, यह आपका विषय है। मैं तो सरकारी जमीन को सुरक्षित कर रहा हूं। लगभग 20 मिनट तक चली सुनवाई में वकील के साथ आए बिल्डर ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को रेजीडेंसी की जमीन से जुड़े और अनुमतियों वाले दस्तावेज भी सौंपे। फर्म संचालकों द्वारा दिए गए इन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर प्रशासन जांच करवाकर द्वारा रेजीडेंसी की अनुमतियां निरस्त करेगा। बता दें कि इसके पहले फर्म ने हाईकोर्ट में भी नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा नपती करके मल्टी के सामने लगाई गई लोहे की जाली को लेकर याचिका लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया था।

द्वारका रेजीडेंसी के सामने सरकारी भूमि सुरक्षित करने के लिए लगाई गई लोहे की जाली।

कलेक्टर कोर्ट में चली सुनवाई के मुख्य अंश

- **बिल्डर** - दस्तावेज सौंपकर, सारी परमिशन लेकर ही काम कर रहे हैं सर।
- **कलेक्टर** - राजस्व, टीएंडसीपी और नगर निगम के अफसरों की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। रास्ता नहीं बताया होता तो बिल्डिंग परमिशन ही नहीं होती।
- **बिल्डर** - कार्रवाई के पहले नोटिस नहीं दिया।
- **कलेक्टर** - उसकी जरूरत ही नहीं, सरकार की जमीन थी, हमने सुरक्षित कर ली।
- **बिल्डर** - रास्ते की जमीन थी, जनता के सुविधा के लिए रोड बनाई है।
- **कलेक्टर** - आप बिना अनुमति सरकारी जमीन पर काम नहीं कर सकते। जनता की सुविधा के लिए पू शहर में 10 करोड़ की रोड बनवा दो।
- **बिल्डर** - आदेश दीजिए, सारी रोड बनवा दूंगा।

फाइलों से बाहर निकले नक्शे और अनुमतियों के दस्तावेज

कलेक्टर का सख्त रुख देखकर कार्रवाई से बचने के लिए टीएंडसीपी, राजस्व और नगर निगम ने द्वारका रेजीडेंसी फर्म से जुड़ा रिकॉर्ड फाइलों से बाहर निकाल लिया है। सरकारी जमीन को लेकर दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। तैयारी इसी तरह चलती रही तो अगले सप्ताह तक द्वारका रेजीडेंसी पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने रेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने की कार्रवाई को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।

शिकायत मिली तो निवेशकों के साथ खरीदारों को भी दिलवाएंगे रुपए

उधर निवेशकों के साथ धोखे का शिकार हुए खरीदारों में भी हड़कंप है। खरीदार बुकिंग राशि वापस लेने फर्म को आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने वकीलों और जानकार प्रॉपर्टी ब्रोकर से कार्रवाई के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया है। इससे काम नहीं बना तो निवेशक और खरीदार प्रशासन को शिकायत करेंगे। उधर प्रशासन के अफसरों का साफ कहना है कि द्वारका रेजीडेंसी को लेकर शिकायत मिली तो कार्रवाई करेंगे।

द्वारका रेजीडेंसी पर जो कार्रवाई की गई है, वह जारी रहेगी। अनुमतियां देने वाले अफसरों की जिम्मेदारी भी तय कर रहे हैं। मंगलवार को बिल्डर का पक्ष सुन लिया है। उन्होंने दस्तावेज भी सौंपे हैं। उस आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर

भास्कर

दै. भास्कर 29/9/21

स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन की कुंजी

निगमायुक्त ने अमृत महोत्सव के तहत कचरा संग्रहण को लेकर किया जागरूक

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन की कुंजी है। हम अपने घर व आसपास के वातावरण को जितना स्वच्छ व सुंदर रखेंगे, उतना ही बीमारियों का खतरा दूर रहेगा। सभी को प्रयास करना चाहिए कि हमारे, घर, दुकान, कारखाना या जो भी संस्थान हो वहां गीला, सूखा, हानिकारक आदि कचरे का संग्रहण अलग-अलग ही करें।

संचालनालय नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के निर्देश पर मंगलवार को शहर के अनेक वार्डों में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आमजन को अलग-अलग कचरा संग्रहण करने की समझाइश देकर अमृत महोत्सव मनाया गया। गांधी नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निगम आयुक्त ने नागरिकों से चर्चा की और अलग-अलग कचरा संग्रहण करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया। मंगलवार को शहर के चारों जोनों में वार्ड नंबर-1, 25, 34 व 36 सहित आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम हुए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों, डीए, मोहल्ला संघों और अन्य आवासीय संघों का सम्मान किया गया। गुलमोहर कालोनी संघ के अध्यक्ष बलवंतसिंह भाटी और टीआइटी रोड के स्वच्छता सिपाही योगेश कावड़िया को प्रमाण-पत्र, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। द ग्रोइंग इंडिया फाउंडेशन के सदस्यों के साथ गांधी नगर क्षेत्र में पहुंचकर नागरिकों से जानकारी ली कि वे अपने घरों में गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग कचरा पात्रों में रखते हैं या नहीं। शोभना, बिड़वान, कृपाल दलोद, ओम बिड़वान, नवीन फतरोड़, विनोद कंडारे, आशा पैमाल, मनोरमादेवी जोशी द्वारा घरों में नियमित रूप से गीले व सूखे कचरे का पृथक्कीकरण करने, पृथक किए गए कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने पर निगम आयुक्त ने पुष्पगुच्छ व पुष्पमालाओं से सम्मान किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 29 व 30 सितंबर को सार्वजनिक शौचालय सफाई के लिए जनभागीदारी अमृत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यपालन यंत्री व स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी सुरेशचंद्र व्यास, स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जोन प्रभारी पर्वत हाड़े, शैलेंद्र गोठवाल के अलावा कर्णधीर बड़गोत्या, हितेष पैमाल, किरण महावर, द ग्रोइंग इंडिया फाउंडेशन के सदस्य दिव्या प्रयास जोशी, मिली जोशी, श्रुति जोशी, शिवम, सलोनी, कीर्ति, प्रयास, दीपिका आदि उपस्थित थे।

नईदुनिया 29/9/21

जिला दंडाधिकारी ने सुरक्षित रखा अपना निर्णय

द्वारका रेसीडेंसी: कोर्ट में पक्षकार ने रखे अपने तर्क

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. द्वारका रेसीडेंसी के अवैध रास्ते के मामले में अभिभाषक ने जिला दंडाधिकारी की कोर्ट में मंगलवार को अपने तर्क रखें। बताया गया कि उनके द्वारा सभी कार्य नियम से किया गया है, पूरी बहस सुनने के बाद जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।

जिला दंडाधिकारी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेसीडेंसी की तरफ से अभिभाषक राजेश बाथम व रोहित सोनी उपस्थित रहे। इस दौरान मौखिक रुप से इस बात को मंजूर किया गया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है व कहा जाएगा तो तोड़ दिया जाएगा। अगर प्रशासन इसको तोड़ेगा तो जो व्यय होगा वो देय होगा। करीब तीस मिनट से अधिक समय तक रेसीडेंसी के अभिभाषक ने अपने तर्क रखे। इसमे विभिन्न बिंदुओं को बताया गया। इसके बाद अब जिला दंडाधिकारी को अपना इस मामले में निर्णय देना है।

कई प्रकार के निर्माण संभव

रास्ते वाली करीब 15 हजार वर्गफीट से अधिक की भूमि है को नीलाम करने सहित अन्य कई प्रकार के निर्माण के बारे में प्रशासन मंथन कर रहा है। वर्तमान में राजमहल परिसर में पंजीयन कार्यालय है, उसका निर्माण भी इस भूमि पर किया जा सकता है। कुल मिलाकर सरकारी भूमि के पूरे मामले में नीलामी प्रक्रिया के लिए निर्णय प्रशासन को लेना है।

पत्रिका। २७/७/२१

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने

माफियाओं के विरूद्ध कड़ी का[...] के निर्देश सभी एस डी एम को

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सभी एस डी एम को निर्देश दिए कि माफियाओं तथा अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कार्रवाई करें। लोक निर्माण विभाग को शहर की सड़कों की दुरुस्ती का प्लान करने के निर्देश दिए। सड़क विकास निगम के अधिकारी को महू नीमच रोड़ पर गड्ढों की दुरुस्ती के लिए कहा गया। बैठक में अपर कलेक्टर एम. एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया आदि उपस्थित थे।

जावरा एसडीएम ने बताया कि उनके द्वारा जावरा शहर में तथा आसपास अवैध कॉलोनाइजरों तथा माफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है। कलेक्टर द्वारा सभी माफियाओं के विरुद्ध एफआइआर करने के निर्देश दिए गए। सैलाना एस डी एम ने बताया कि रावटी में भी नोटिस जारी किए गए हैं आलोट एस डी एम को भी एफ आई आर करने के निर्देश दिए गए।

विगत समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को उन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे जिनके द्वारा जल जीवन मिशन की योजनाओं में गड़बड़ी की जा रही है, परंतु कलेक्टर द्वारा इस बैठक की समीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों के विरुद्ध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि इस सप्ताह में यदि गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो उनके विरुद्ध रिपोर्ट भोपाल प्रेषित की जाएगी।

सीईओ जिला पंचायत को निर्देश दिए कि सैलाना, बाजना क्षेत्रों में मनरेगा योजना से आदिवासी परिवारों के खेतों में कार्य किए जाए, जिससे परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। आईटीआई प्राचार्य को 10 अक्टूबर के आसपास रोजगार मेला आयोजित करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत को स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज में तेजी से कार्य करने को कहा गया। कलेक्टर ने कहा कि जिले के प्रत्येक विकासखंड में दो या तीन आदर्श गांव बनाए जाएंगे।

महिला बाल विकास विभाग को सैलाना, बाजना क्षेत्रों में कुपोषण के विरुद्ध ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए। बच्चों का डाइट प्लान तैयार करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए संभवतः 5 बच्चों की जिम्मेदारी होगी जिनका कुपोषण दूर करना है।

प्रसारण

जिले[...]
से[...]

रतलाम[...]
(41 इंच से[...]
अवधि तक[...]
थी। गत व[...]
मिलीमीटर[...]
मंगलवार सु[...]
वर्षा दर्ज की[...]
मीटर, बाज[...]
मीटर, रावट[...]
मीटर वर्षा द[...]
सामान्य व[...]

प्रसारण | 29/9/21

जनसुनवाई में आए 57 आवेदन, कलेक्टर ने निराकरण के निर्देश दिए

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 57 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में अपर

▶ कलेक्टोर सभा कक्ष में संपन्न हुई जनसुनवाई

कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, सीटी एसडीएम अभिषेक गहलोत तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में रतलाम प्रताप नगर के समीप रहने वाली प्रीति चौहान ने आवेदन दिया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उसे राशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दुकान की सूची में उसका नाम नहीं होना बताया जा रहा है। कलेक्टर ने वहां उपस्थित सहायक खाद्य अधिकारी उमेश पांडे से जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि प्रीति चौहान को तत्काल पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई जाए ताकि उसे राशन मिल सके। जिला खाद्य विभाग द्वारा प्रीति को तत्काल पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार जनसुनवाई में सहायक राजस्व निरीक्षक गोविंद ओहरी ने सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया जिस पर नगर पालिका अधिकारी नामली को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिवनगर नयागांव रतलाम के रामबाबू धाकड़ ने आवेदन दिया कि उसे रतलाम विकास प्राधिकरण की परशुराम विहार

कॉलोनी में उसे आवंटित भूखंड की रजिस्ट्री करवा दी जाए तथा कब्जा दिलवाया जाए। प्लाट लॉटरी सिस्टम से उसे आवंटित हुआ है परंतु रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा सिटी तहसीलदार को कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।

इसी प्रकार आनंद विहार कॉलोनी सैलाना के अफजल पिता कयूम शाह ने आवेदन दिया कि तत्कालीन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सैलाना के प्रबंधक द्वारा पद का दुरुपयोग कर बैंकिंग नियम के विपरीत कार्य करते हुए प्रार्थी से 64000 रूपए बीमा संबंधी प्राप्त करने के उपरांत बीमा नहीं किया तो राशि का गबन तथा प्रार्थी के माता-पिता का स्वर्गवास होने से बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिला। इस संबंध में धोखा घड़ी षड्यंत्र राशि हड़प करने के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु आवेदन किया आवेदन पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए।

जनसुनवाई में जय भारत नगर रतलाम की तबस्सुम शेख ने आवेदन दिया कि वह खाना बनाते समय गैस से जल गई थी उसका उपचार चल रहा है। पहले सर्जरी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में हुई, सर्जरी वाले स्थान पर स्किन प्रॉब्लम होने लगे हैं। इसके लिए उपचार कराया जाना है परंतु राशि नहीं है अतः आर्थिक सहायता दी जाए। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा संबंधित डिप्टी कलेक्टर शाखा को निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में आवेदन आया कि ग्राम करमदी स्थित रॉयल रेसिडेंसी कॉलोनी के सीवरेज का गंदा पानी सूरजमल जैन जलाशय में मिल रहा है जिससे जलाशय दूषित हो रहा है। आवेदन पत्र द्वारा नगर निगम की सफाई शाखा को आवश्यक कार्य के लिए निर्देशित किया गया।

इसी प्रकार राजेंद्र पुरोहित निवासी कस्तूरबा नगर ने आवेदन दिया कि उनकी पुत्री के विवाह के लिए मैरिज गार्डन बुक कराया था बुकिंग के टाइम 50 हजार रूपए अग्रिम राशि के रूप में अदा किए थे जिसमें व्यवस्थापक द्वारा 20 हजार रूपए की रसीद असल रूप में तथा शेष 30 हजार रूपए की कच्ची रसीद प्रदान की गई थी परंतु कोरोना गाइड लाइन के कारण उक्त अवधि में उनकी पुत्री का विवाह निरस्त हो गया परंतु उनके द्वारा दी गई अग्रिम राशि मैरिज गार्डन व्यवस्थापक द्वारा लौटाई नहीं जा रही है। आवेदन पर एसडीएम शहर को कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। लक्ष्मी नगर हरमाला रोड निवासी अकरम मंसूरी द्वारा बीपीएल राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन दिया गया जिस पर एसडीएम सिटी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

नवभारत

नवभारत 29/9/21

कलेक्टर ने एसडीएम को दिए माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित

रतलाम। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि माफियाओं तथा अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कार्रवाई करें। लोक निर्माण विभाग को शहर की सड़कों की दुरुस्ती का प्लान करने के निर्देश दिए। सड़क विकास निगम के अधिकारी को महू नीमच रोड पर गड्ढों की दुरुस्ती के लिए कहा गया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया आदि उपस्थित थे।जावरा एसडीएम ने बताया कि उनके द्वारा जावरा शहर में तथा आसपास अवैध कॉलोनाइजरों तथा माफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है। कलेक्टर द्वारा सभी माफियाओं के विरुद्ध एफआइआर करने के निर्देश दिए गए। सैलाना एसडीएम ने बताया कि रावटी में भी नोटिस जारी किए गए हैं आलोट एसडीएम को भी एफआइआर करने के निर्देश दिए गए। विगत समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को उन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे जिनके द्वारा जल जीवन मिशन की योजनाओं में गड़बड़ी की जा रही है परंतु कलेक्टर द्वारा इस बैठक की समीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों के विरुद्ध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि इस सप्ताह में यदि गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो उनके विरुद्ध रिपोर्ट भोपाल प्रेषित की जाएगी।

चोथासंसार २७/७/२१

विभागीय कामकाज में ढीलेपन पर कलेक्टर नाराज

कई विभागों की ढीली-ढाली कार्यप्रणाली पर सोमवार रात हुई समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की

(जनता में चर्चा केवल कलेक्टर नाराजगी ही दिखाते रहेंगे या मक्कार और कामचोर कर्मचारियों/अधिकारियों को जिले से बाहर भेजेंगे और उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी करेंगे?

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कई विभागों की ढीली-ढाली कार्यप्रणाली पर सोमवार रात हुई समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, शिक्षा विभाग, ट्राइबल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पीआइयू, जनपद पंचायत बाजना, सैलाना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम रतलाम, डीपीसी को भी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए निर्देशित किया।

शिक्षा विभाग : कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आपके यहां से कर्मचारियों, शिक्षकों को पार्ट फाइनल या जीपीएफ राशि आहरण कराने में परेशानी क्यों आ रही है। आपको 4 माह पूर्व चेताया था, परंतु कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हुआ है। अब एक भी शिकायत आती है तो शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। इसी प्रकार जिला पेंशन अधिकारी को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अनावश्यक रूप से किसी भी कर्मचारी का प्रकरण लंबित नहीं रखा जाए।

जिला अस्पताल : बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल से शिकायत आई कि किसी व्यक्ति के टांके काटने से संबंधित डाक्टर द्वारा मना कर दिया गया। मेरे पास वह व्यक्ति आया तब उसका काम हुआ। यह बहुत दुखद और चिंतनीय है। पता चला कि टांके काटने के पैसे मांगे गए। कलेक्टर ने इस संबंध में सख्त एक्शन लेने के निर्देश डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन को दिए। साथ ही सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि जिला चिकित्सालय के संबंध में पुनः शिकायत नहीं आए, यह सुनिश्चित करें।

उद्योग व उद्यानिकी विभाग : एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर ध्यान दें। जिले में लहसुन तथा रतलामी नमकीन को एक जिला एक उत्पाद योजना में सम्मिलित किया गया है। बताया गया कि एक नवंबर को लहसुन तथा रतलामी नमकीन की पांच-पांच नवीन औद्योगिक इकाइयां आरंभ कर दी जाएगी।

मनरेगा में काम : बैठक में कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को निर्देश दिए कि सैलाना तथा बाजना के प्रत्येक आदिवासी परिवारों के खेतों में मनरेगा योजना से कम से कम एक कार्य किया जाए, जिससे उनका आर्थिक उत्थान हो, जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए अति शीघ्र कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।

जल जीवन मिशन : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के विभिन्न कार्यों में खराब गुणवत्ता पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते कार्यपालन यंत्री को कहा कि मिशन में कई कार्यों की गुणवत्ता खराब है, आपको अंतिम चेतावनी दी जा रही है। यदि सुधार नहीं किया गया तो सख्त एक्शन ली जाएगी, शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। मिशन के तहत गांव में खुदाई कार्य के पश्चात रिस्टोर क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि यह शासन द्वारा निर्देशित है। संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए अन्यथा प्रशासन एफआईआर दर्ज करवाएगा। सभी एसडीएम को भी जल जीवन मिशन के कार्यों को चेक करने के निर्देश दिए। इसी तरह की चेतावनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महाप्रबंधक को भी काम सुधारने के लिए दी गई।

वनाधिकार हितग्राही : बाजना तथा सैलाना क्षेत्रों के वनाधिकार अधिनियम से लाभान्वित आदिवासी हितग्राहियों की की एंट्री पोर्टल पर की जाना थी जो समय सीमा में बाजना तथा सैलाना जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा नहीं कराई गई। इस पर कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि यह गंभीर लापरवाही है।

जनपद पंचायत : कलेक्टर ने जनपद पंचायतों को निर्देश दिए गए की मनरेगा में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार नहीं हो, यह ताकिद पंचायत सचिवों को भी कर दी जाए। बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया जाएगा, जहां कमी या शिकायत पाई जाएगी तो ग्राम पंचायत सचिव के अलावा संबंधित इंजीनियर, रोजगार सहायक एवं जनपद पंचायत सीईओ को भी जिम्मेदार ठहराकर कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम-तहसीलदार : कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे सप्ताह में दो दिन अपने क्षेत्र का भ्रमण करें। आम आदमी की समस्याओं को सुलझाएं, उनकी कठिनाइयों का निराकरण करें। राजस्व विभाग में पिपलौदा से सबसे ज्यादा राजस्व संबंधी शिकायतें आती हैं। सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार यह ध्यान रखें कि शोकाज नोटिस देने के बाद उनके विरुद्ध दोबारा शिकायत आने पर विभागीय जांच स्थापित की जाएगी, ऐसी स्थिति में वे अपने प्रमोशन भूल जाएं।

29/9/21

जनसुनवाई में अधिकारियों को बुलाया

शिक्षा अधिकारी से बोले कलेक्टर जनसुनवाई में उपस्थिति है अनिवार्य

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कोविड से थमी जनसुनवाई फिर से शुरू होते साथ ही शिकायतकर्ताओं की कलेक्टर कार्यालय में भीड़ लगना शुरू हो गई है।

दूसरे मंगलवार को भी बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। यहां पर सुनवाई के लिए सभी विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर ने बैठाया और जिस विभाग की शिकायत थी, उसे संबंधित शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला शिक्षा अधिकारी के बैठक से गायब होने पर उन्हें बुलवाया और निर्देश दिए कि आगे से सारे काम छोड़कर मंगलवार को जनसुनवाई में उपस्थित रहना अनिवार्य है। जनसुनवाई में 57 आवेदनों पर सुनवाई की गई। इसके साथ ही संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान प्रताप नगर के समीप रहने वाली प्रीति चौहान ने आवेदन देकर कहा कि उचित मूल्य दुकान से उसे राशन नहीं मिल पा रहा है जबकि उसका बीपीएल कार्ड है। दुकान की सूची में उसका नाम नहीं होना बताया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने वहां उपस्थित सहायक खाद्य अधिकारी उमेश पांडे से जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को तत्काल पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई जाए ताकि उसे राशन मिल सके। जिला खाद्य विभाग द्वारा महिला को तत्काल पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई गई।

पत्रिका २९/९/२१

अमृत महोत्सवः नगर निगम के दल ने प्रथम दिन कचरा पृथक्कीकरण की दी समझाईश

रतलाम। शासन निर्देशानुसार निकाय स्तर पर ''आजादी का अमृत महोत्सव'' मनाये जाने के तहत निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सोमवार को निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने शहर के 8 वार्डो में पहुंचकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु प्रेरित कर अमृत महोत्सव की शुरूआत की।

शहर के आठ वार्डो में समझाईश देकर अमृत महोत्सव मनाया गया। जिसके तहत गठित दलों द्वारा वार्डो में जाकर नागरिकों को स्वच्छता की समझाईश दी गई।

स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह ने बताया कि सोमवार को शहर के वार्ड क्रमांक 10, 13, 30, 31, 17, 22, 24 व 25 के रहवासियों को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में कचरा डालने की समझाईश दी गई।

उक्त अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत झाड़े, विनय चौहान, सौरभ काली, शैलेन्द्र गोठवाल आदि उपस्थित थे।

नवभारत

नवभारत 27/9/21

रायल रेसीडेंसी कॉलोनी के सीवरेज का पानी मिल रहा जलाशय में

कलेक्टर ने जनसुनवाई में 57 आवेदनों का निराकरण किया

रतलाम ● स्वदेश समाचार

मंगलवार को भी कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने जनसुनवाई कर 57 आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए।

जनसुनवाई में आवेदन आया कि ग्राम करमदी स्थित रॉयल रेसिडेंसी कॉलोनी के सीवरेज का गंदा पानी सूरजमल जैन जलाशय में मिल रहा है जिससे जलाशय दूषित हो रहा है। आवेदन पत्र द्वारा नगर निगम की सफाई शाखा को आवश्यक कार्य के लिए निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई में प्रताप नगर के समीप रहने वाली प्रीति चौहान ने आवेदन दिया क उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उसे राशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दुकान की सूची में उसका नाम नहीं होना बताया जा रहा है। कलेक्टर ने वहां उपस्थित सहायक खाद्य अधिकारी उमेश पांडे से जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए तत्पश्चात जिला खाद्य विभाग द्वारा प्रीति को तत्काल पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार जनसुनवाई में सहायक राजस्व निरीक्षक गोविंद ओहरी ने सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया जिस पर नगर पालिका अधिकारी नामली को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

भूखंड पर कब्जा दिलावाया जाए

शिवनगर नयागांव रतलाम के रामबाबू धाकड़ ने आवेदन दिया कि उसे रतलाम विकास प्राधिकरण की परशुराम विहार कॉलोनी में उसे आवंटित भूखंड की रजिस्ट्री करवा दी जाए तथा कब्जा दिलवाया जाए। प्लाट लॉटरी सिस्टम से उसे आवंटित हुआ है परंतु रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा सिटी तहसीलदार को कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।

बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिला

आनंद विहार कॉलोनी सैलाना के अफजल पिता कयूम शाह ने आवेदन दिया कि तत्कालीन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सैलाना के प्रबंधक द्वारा पद का दुरुपयोग कर बैंकिंग नियम के विपरीत कार्य करते हुए प्रार्थी से 64000 रुपए बीमा संबंधी प्राप्त करने के उपरांत बीमा नहीं किया तो राशि का गबन तथा प्रार्थी के माता-पिता का स्वर्गवास होने से बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिला। इस संबंध में धोखाधड़ी षड्यंत्र राशि हड़प करने के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु आवेदन किया आवेदन पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए।

उपचार के लिए सहायता राशि की मांगी की

जनसुनवाई में जय भारत नगर की तबस्सुम शेख ने आवेदन दिया कि वह खाना बनाते समय गैस से जल गई थी उसका उपचार चल रहा है। पहले सर्जरी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में हुई, सर्जरी वाले स्थान पर स्किन प्रॉब्लम होने लगे हैं। इसके लिए उपचार कराया जाना है परंतु राशि नहीं है। अतः आर्थिक सहायता दी जाए। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा संबंधित डिप्टी कलेक्टर शाखा को निर्देश जारी किए। इसी प्रकार राजेंद्र पुरोहित निवासी कस्तूरबा नगर ने आवेदन दिया कि उनकी पुत्री के विवाह के लिए मैरिज गार्डन बुक कराया था बुकिंग के टाइम 50 हजार रुपए अग्रिम राशि के रूप में अदा किए थे जिसमें व्यवस्थापक द्वारा 20 हजार रुपए की रसीद असल रूप में तथा शेष 30 हजार रुपए की कच्ची रसीद प्रदान की गई थी परंतु कोरोना गाइड लाइन के कारण उक्त अवधि में उनकी पुत्री का विवाह निरस्त हो गया परंतु उनके द्वारा दी गई अग्रिम राशि मैरिज गार्डन व्यवस्थापक द्वारा लौटाई नहीं जा रही है। आवेदन पर एसडीएम शहर को कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। लक्ष्मी नगर हरमाला रोड निवासी अकरम मंसूरी द्वारा बीपीएल राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन दिया गया जिस पर एसडीएम सिटी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

स्वदेश

स्वदेश 29/9/21

निगम की प्रापर्टी की नीलामी का मामला

₹ 85 करोड़ से अधिक की कमाई का लिया लक्ष्य

पत्रिका डेटा डिकोडेड

भू भाटक भरकर लेंगे सिविक सेंटर का स्वामित्व

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नगर निगम के पास इस समय करीब 2 अरब रुपए से अधिक की प्रापर्टी ऐसी है जो बिक्री का इंतजार कर रही है। प्रशासक व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इनकी बिक्री करने के लिए रोड मैप बनाने को निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को कहा है। इस पर काम की शुरुआत हो गई है व इस वर्ष 31 दिसंबर तक इनको बिक्री करने का लक्ष्य लिया गया है। निगम का उद्देश्य है कि रुपए आ जाए तो राजीव गांधी सिविक सेंटर योजना में जो रुपए भू भाटक के जमा करना है वो करके पूर्व के सभी आवंटन निरस्त किया जाए व नए तरीके से इनकी भी बिक्री की जाए। इसके अलावा शेष रुपए से पूरे शहर में पक्की सीसी रोड बनाई जाएगी जो पांच साल की गारंटी वाली रहेगी।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने दल बल के साथ निगम से जुड़ी करीब 85 करोड़ रुपए की प्रापर्टी की पूरी सूची बना ली है। इसके बाद बुधवार को कुछ प्रापर्टी की वास्तविक स्थिति जानने के लिए निरीक्षण किया है। पत्रिका में सुभाष शॉपिंग

काम्प्लेक्स से जुड़े समाचार का 16 सितंबर को प्रकाशन के बाद 99 दुकानों में रखरखाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए करीब 35 लाख रुपए का व्यय किया जा रहा है। इसमे नए शटर लगाई जा रही है व बिजली कनेक्शन सहित अन्य सुविधाएं जुटाई जा रही है। इसके अलावा दुकान खरीदने वालों को सुरक्षा रहे इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी निगम लगवाने जा रही है।

यह है योजना

नगर निगम के लोकनिर्माण विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार शहर में उखड़ी हुई सड़क को सुधारने की योजना तो बनाई ही गई है इसके साथ साथ लंबे समय से विरान पड़ी राजीव गांधी सिविक सेंटर को भी बिक्री करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए शेष प्रापर्टी से जो राशि आएगी उस राशि से सिविक सेंटर का बकाया भू भाटक भरा जाएगा व स्वामित्व निगम अपना करेगी। इसके बाद पूर्व में हुए आवंटन को निरस्त करके नए सीरे से बिक्री करेगी।

यहां पर है प्रापर्टी

- डोसीगांव में एलआईजी के 237 फ्लैट कीमत 30 करोड़ 81 लाख
- मुखर्जी नगर एमआईजी के 94 फ्लैट कीमत 20 करोड़ 68 लाख
- सुभाष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 99 दुकान से 33 करोड़ 66 लाख राशि - 85 करोड़ 15 लाख रुपए

शहर में निगम की जो प्रापर्टी है उन सभी की बिक्री के लिए लगातार कार्य जारी है। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक सभी प्रापर्टी की बिक्री की जाए व प्राथमिकता में सुभाष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व फ्लेट्स है। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

पत्रिका। २९/९/२१

शाकम्भरी

समय पर सम्पत्ति कर नहीं दिया तो भरना होगा दोगुना

क्या नगर निगम रतलाम अधिनियम के विरुद्ध स्वयं के मकान में रहने वालों से जो 50 प्रतिशत अधिक सम्पत्ति कर वसूला है वह तुरंत लौटाएगी?

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि) । नईदुनिया समाचार पत्र दिनांक 21-9-2021 में प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रदेश में ऐसे मकान मालिक जो खुद के मकान में रहते है, नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें अभी तक सम्पत्तिकर 50 फीसद छूट मिलती थी। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष से इसमें संशोधन कर दिया है। भवन स्वामी यदि 31 मार्च तक अपना पूरा सम्पत्ति कर जमा करेगा तभी उसे यह छूट मिलेगी। एक अप्रैल से उससे दोगुणा सम्पत्तिकर वसूला जाएगा यानी छूट का लाभ नहीं मिलेगा। संशोधित प्रावधानों के मुताबिक अब स्वयं के मकान में रहने वालों को हर वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर देना (जमा कराना) अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले मकान मालिकों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

रतलाम की जनता का जिला कलेक्टर रतलाम एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम तथा नगर विधायक चेतन्य काश्यप जी से जनहित व रतलाम निवासियों के हित में मांग है कि खुद के मकान मालिक व उसमें रहने वालों से नगर पालिक निगम द्वारा नियमों का पालन नहीं कर स्वयं के मकान में रहने वालों से अभी तक पूरा सम्पत्ति कर वसूला है जबकि उनसे 50 प्रतिशत ही सम्पत्ति कर लेना था। अतः नगर पालिक निगम अधिनियम का पालन करते हुए अभी तक स्वयं के मकान वालों से जो 100 प्रतिशत सम्पत्ति कर वसूला है उसका 50 प्रतिशत शीघ्र वापस करवाया जावे यही जनहित में आग्रह एवं सुझाव है।

सा. शाकम्भरी 29/9/21

कलेक्टर की पहल: परेशान महिला को दिलवाई पात्रता पर्ची

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 57 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर एम.एल.आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, सीटी एसडीएम अभिषेक गहलोत तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में रतलाम प्रताप नगर के समीप रहने वाली प्रीति चौहान ने आवेदन दिया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उसे राशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दुकान की सूची में उसका नाम नहीं होना बताया जा रहा है। कलेक्टर ने वहां उपस्थित सहायक खाद्य अधिकारी उमेश पांडे से जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि प्रीति चौहान को तत्काल पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई जाए ताकि उसे राशन मिल सके। जिला खाद्य विभाग द्वारा प्रीति को तत्काल पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई गई।

इसी प्रकार जनसुनवाई में सहायक राजस्व निरीक्षक गोविंद ओहरी ने सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया जिस पर नगर पालिका अधिकारी नामली को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिवनगर नयागांव रतलाम के रामबाबू धाकड़ ने आवेदन दिया कि उसे रतलाम विकास प्राधिकरण की परशुराम विहार कॉलोनी में उसे आवंटित भूखंड की रजिस्ट्री करवा दी जाए तथा कब्जा दिलवाया जाए। प्लाट लॉटरी सिस्टम से उसे आवंटित हुआ है परंतु रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा सिटी तहसीलदार को कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।

इसी प्रकार आनंद विहार कॉलोनी सैलाना के अफजल पिता कयूम शाह ने आवेदन दिया कि तत्कालीन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सैलाना के प्रबंधक द्वारा पद का दुरुपयोग कर बैंकिंग नियम के विपरीत कार्य करते हुए प्रार्थी से 64000 रूपए बीमा संबंधी प्राप्त करने के उपरांत बीमा नहीं किया तो राशि का गबन तथा प्रार्थी के माता-पिता का स्वर्गवास होने से बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिला। इस संबंध में धोखाधड़ी षड्यंत्र राशि हड़प करने के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु आवेदन किया आवेदन पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए।

जनसुनवाई में जय भारत नगर रतलाम की तबस्सुम शेख ने आवेदन दिया कि वह खाना बनाते समय गैस से जल गई थी उसका उपचार चल रहा है। पहले सर्जरी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में हुई, सर्जरी वाले स्थान पर स्किन प्रॉब्लम होने लगे हैं। इसके लिए उपचार कराया जाना है परंतु राशि नहीं है अतः आर्थिक सहायता दी जाए। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा संबंधित डिप्टी कलेक्टर शाखा को निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में आवेदन आया कि ग्राम करमदी स्थित रॉयल रेसिडेंसी कॉलोनी के सीवरेज का गंदा पानी सूरजमल जैन जलाशय में मिल रहा है जिससे जलाशय दूषित हो रहा है। आवेदन पत्र द्वारा नगर निगम की सफाई शाखा को आवश्यक कार्य के लिए निर्देशित किया गया।

अग्रिम राशि नहीं लौटाई

इसी प्रकार राजेंद्र पुरोहित निवासी कस्तूरबा नगर ने आवेदन दिया कि उनकी पुत्री के विवाह के लिए मैरिज गार्डन बुक कराया था बुकिंग के टाइम 50 हजार रूपए अग्रिम राशि के रूप में अदा किए थे जिसमें व्यवस्थापक द्वारा 20 हजार रूपए की रसीद असल रूप में तथा शेष 30 हजार रूपए की कच्ची रसीद प्रदान की गई थी परंतु कोरोना गाइड लाइन के कारण उक्त अवधि में उनकी पुत्री का विवाह निरस्त हो गया परंतु उनके द्वारा दी गई अग्रिम राशि मैरिज गार्डन व्यवस्थापक द्वारा लौटाई नहीं जा रही है। आवेदन पर एसडीएम शहर को कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। लक्ष्मी नगर हरमाला रोड निवासी अकरम मंसूरी द्वारा बीपीएल राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन दिया गया जिस पर एसडीएम सिटी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

राज एक्सप्रेस 29/7/21

शासकीय रिकार्ड में वर्ष 2011-12 में दर्ज स्ट्राबोर्ड मिल रतलाम को शासन द्वारा लीज पर दी गई भंवरगढ़ी की खसरा नंबर 2 में दर्ज 316.420 हेक्टर, ग्राम पलसोड़ी की खसरा नंबर 224 की 9.160 हेक्टर तथा खसरा नंबर 225 की 237 हेक्टर जमीन पर भी कहीं भूमाफियाओं ने कब्जा तो नहीं कर लिया?

क्या कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम इसकी शासन हित में जांच करवाएंगे?

(डी.पी. अग्रवाल)

रतलाम। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रतलाम के भूमाफिया काफी चतुर व चालाक भी है तथा यह भी सुनने में आया कि ये अपना हित साधने के लिए अधिकारी को चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं उसको अपने बस में करने के लिए उनके गले में सोने की जंजीर डालने (पहनाने) में देर नहीं करते व फिर उससे अपना हर काम बखूबी बड़े आराम से करवा लेते है। यहीं कारण है कि रतलाम व आसपास की कई शासकीय लीज की, धार्मिक स्थलों तथा आदिवासियों की भूमियों को इन्होंने भ्रष्टाचार यानी पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली तर्ज पर अधिकारियों से अपने नाम पर करवा ली जैसे-

1. स्ट्राबोर्ड मिल को पूर्व में शासन द्वारा चरनोई की करीब 564.350 हेक्टर शासकीय भूमि लीज पर दी थी जिसमें ग्राम भंवरगढ़ी की खसरा नंबर 2 में दर्ज 316.420 हेक्टर एवं ग्राम पलसोड़ी की खसरा नंबर 224 की 9.960 हेक्टर तथा खसरा नंबर 225की 237.970 हेक्टर भूमि दी गई थी। ऐसी जानकारी मिली कि मुंबई की फर्म फ्लक्रम रियल्टी प्रा.लि. से संबंद्ध रतलाम के अनिल झालानी की मार्फत इन जमीनों को बेचने (लेन-देन) की चर्चा है। जबकि उपरोक्त जमीनें चरनोई की शासन द्वारा फैक्ट्री के रा मटेरियल (घास) के लिए लीज पर दी गई थी तो उक्त जमीन कैसे बिक गई? कृपया शासन हित में आवश्यक कार्यवाही कर यह मालुम करने का कष्ट करें कि जमीनें वर्तमान में किसके पजेशन है?

2. पावर हाउस रोड पर पूर्व शासक ने बरफ फैक्ट्री के लिए लीज पर दी गई जमीन सर्वे नंबर 1337/2/2 वर्तमान नंबर 122 की दो बीघा तथा सर्वे नंबर 1341 वर्तमान नंबर 123 की 1.180 हेक्टर जो रतलाम सिटी में स्थित है को बेचने की चर्चा जोरों से बाजार में है तथा इसकी जाहिर सूचना दैनिक भास्कर दिनांक 18-9-2021 तथा दैनिक भास्कर दिनांक 20-9-2021 में प्रकाशित भी हुई है जबकि उक्त भूमि लीज की है जिसका प्रकरण इंदौर हाईकोर्ट में चला जिसका प्रकरण नंबर w.p.No 4685/14 है का निर्णय दि. 16-12-2014 को हुआ है के अंदर कोर्ट ने कमिश्नरी के आदेश को निरस्त करते हुए जमीन लीज की होने की वजह है मप्र शासन के हक में आदेश पारित किया है। इसकी जानकारी श्री गोविंद सिंह जी समाजसेवी रतलाम से प्राप्त हुई है। अतः शासन हित को ध्यान में रखते हुए इस जमीन के शासन के पजेशन में लेने की कार्यवाही करें, यहीं अपेक्षा है। शाकम्भरी

3. इसी प्रकार रतलाम के पार्षद शांतिलाल वर्मा ने भी जनहित एवं शासन हित में इंदौर हाईकोर्ट में केस लड़ा जिसका प्रकरण क्र. wp. no. 6775/2011 (PIL) शांतिलाल वर्मा v/ स्टेट ऑफ मप्र। यह जमीन भी पूर्व शासन द्वारा डोंगाजी एंड कान्ट्रेक्टर को आईल मिल के लीज पर दी थी परंतु आईल मिल बंद होने के बाद डोंगाजी कान्ट्रेक्टर द्वारा येन-केन-प्रकारेण शासकीय लोगों से उच्च स्तर तक सांठगांठ कर बेच दी थी जिसके लिए पूर्व पार्षद शांतिलाल वर्मा द्वारा जनहित एवं शासन हित में चूंकि यह जमीन लीज भूमि (नजूल) की थी के लिए हाईकोर्ट इंदौर में केस लगाया तथा हाईकोर्ट इंदौर द्वारा शासकीय अधिकारियों के आदेश को दिनांक 13-5-2016 को निरस्त कर म.प्र. शासन के हित में पारित किया। चूंकि उक्त जमीन लीज की थी और लीज की जमीन जिस कार्य के लिए दी जाती है उसका उपयोग दूसरे अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता व ना ही जमीन को बेचा जा सकता और ना ही किसी के नाम ट्रांसफर किया जा सकता।

सा. शाकम्भरी 29/9/21

मिनी स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

रतलाम। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना फेस-टू योजनांतर्गत मिनी स्मार्ट सिटी का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जाने के लिए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने पृथक-पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। मिनी स्मार्ट सिटी के पृथक-पृथक कार्यों हेतु रोड क्रमांक आरआर वन गुजरात स्वीट्स से जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट तक, रोड क्रमांक आरआर थ्री महाराणा प्रताप चौराहे से लोकेंद्र टाकीज तक (जीपीओ रोड) व रोड क्रमांक आरआर फोर शास्त्री नगर मेन रोड के कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जाने हेतु प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उक्त तीनों रोड निर्माण के लिए पृथक-पृथक प्रभारी सहायक यंत्री व उपयंत्रियों को नियुक्त किया है।

नईदुनिया 29/9/21

81 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है।

इसके तहत मंगलवार को 81 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 27760, ट्रैक्टर-ट्राली से 6610, काम्पेक्टर सूखा कचरा 23625, काम्पेक्टर गीला कचरा 23180 कुल 81175 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

नईदुनिया 29/9/21

अमरीश शर्मा को सेवा से बर्खास्त किए जाने का सूचना-पत्र

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने आयुष्मान कार्ड बनाने की ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने पर दैनिक वेतन भोगी कम्प्यूटर आपरेटर अमरीश शर्मा का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का सूचना पत्र जारी किया।

नईदुनिया 29/9/21

शर्मा को नोटिस जारी

रतलाम. नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने आयुष्मान कार्ड बनाने की ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने पर दैनिक वेतन भोगी कम्प्यूटर आपरेट अमरीष शर्मा को नोटिस जारी किया है। आयुक्त के अनुसार एक दिन का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया।

पत्रिका 29/9/21

स्टाफ से चर्चा की और यह भी पता किया कि किसका कैसे वैक्सीनेशन हो रहा

वैक्सीनेशन महाअभियान का निरीक्षण करने अंचल में पहुंचे कलेक्टर-एसपी

● रतलाम

वैक्सीनेशन महा अभियान 27 सितंबर संपूर्ण रतलाम जिले में नियोजित ढंग से संचालित किया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने वैक्सीनेशन कार्य निरीक्षण के लिए सोमवार को सैलाना क्षेत्र का भ्रमण किया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी भी थे।

कलेक्टर पुरुषोत्तम ने सैलाना बालक हायर सेकेंडरी स्कूल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। मौजूद स्टाफ से चर्चा की, सेंटर पर लक्ष अनुरूप शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन किया जा चुका था। इसके बाद कुमावत धर्मशाला में वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण किया। यहां बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर के साथ ही रोड पर आने-जाने वाले वाहनों में मौजूद यात्रियों को भी चेक किया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था कि वैक्सीनेशन हुआ अथवा नहीं और जिनका नहीं हुआ उनको तत्काल वैक्सीनेट किया जा रहा था। इसके बाद कलेक्टर ने ग्राम आडवानिया पंचायत भवन में संचालित वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया। यहां भी प्रथम डोज वैक्सीनेशन लगभग पूरा किया जा चुका है। गांव में 1040 व्यक्तियों को प्रथम डोज लगाए जा चुका है। अभी 44 व्यक्ति बाकी है। कलेक्टर ने वैक्सीनेशन दल को निर्देश दिए कि जो भी छूटे व्यक्ति है उनके घर पहुंचकर पता करो और मिल जाने पर वैक्सीनेट कराओ। इस दौरान सैलाना एसडीएम श्रीमती कामिनी ठाकुर भी उपस्थित थी। कलेक्टर द्वारा अंदरूनी क्षेत्र में स्थित गांव भामट के उपस्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया गया। गांव वालों से चर्चा की, वैक्सीनेशन के बारे में पूछताछ की, वैक्सीनेशन टीम से भी जानकारी प्राप्त की।

धोलावाड़ डेम का निरीक्षण

कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक सोमवार शाम धोलावाड़ डेम पहुंचे और जलभराव का निरीक्षण किया। डेम पर पर्यटन गतिविधियों के विकास की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत कलेक्टर ने कहा कि शीघ्र ही डैम पर रोमांचक एवं एडवेंचरस गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी।

अग्निबाण 28/9/21

टीकाकरण महाअभियान : 13 लाख से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन

रतलाम ● स्वदेश समाचा

मध्यप्रदेश में 18 वर्ष आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने के लिए गत दिवस से कोई न छूटे टीकाकरण महाअभियान-4 चलाया गया। प्रदेश में 11 हजार 472 टीकाकरण केन्द्रों पर 12 लाख 3 हजार 612 नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं अगर रतलाम जिले की बात करें तो यहां भी कोरोना टीकाकरण महाअभियान व्यापक पैमाने पर चलाया गया। सोमवार को केन्द्रों पर 35034 टीके लगाए गए अभी तक जिले में 13 लाख 13 हजार लोगों का टीकाकरण हुआ जिसमें 999814 प्रथम डोज तथा 314147 दूसरा डोज लगा है। यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण से प्रदेश के हर व्यक्ति को वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान के लिए जिला, ब्लाक एवं ग्राम और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों बनाई गई जो इस काम के लिए लगी हुई हैं।

स्वदेश 29/9/21

60% लार्वा कंटेनर व पानी की टंकी में मिल रहा, कूलर-टायर से भी ज्यादा, अब गंभीर मरीज बढ़े

डेंगू बेकाबू : सिर्फ दो दिन में 230 लोगों को दे दिए प्लेटलेट्स

भास्कर संवाददाता | रतलाम

हमारे शहर में गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीधा उदाहरण आप ब्लड बैंक से देख सकते हैं। जहां महज दो दिन में ही 230 लोगों को प्लेटलेट्स दिए जा चुके हैं जो रिकॉर्ड है। अब जिन लोगों के प्लेटलेट्स 20 हजार से नीचे पहुंच गए हैं, उनको ही ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स दे रहे हैं।

डेंगू से बचाव के लिए बेहतर है कि लार्वा पनपने ही ना दें। 60% लार्वा कंटेनर व टंकी में ही मिला है। जो कूलर और टायर से भी ज्यादा है।। मंगलवार को मलेरिया विभाग की टीम 470 घरों में पहुंची जिनमें से 56 घरों में लार्वा मिला है। सबसे ज्यादा 23 पानी की टंकी और 57 कंटेनर में मिला है। बेकार पड़े टायर और कूलर में भी लार्वा मिल रहा है लेकिन संख्या कम है। मंगलवार को 278 कूलर को चेक किया, जिनमें 2 में लार्वा मिला, वहीं 82 टायर में से 6 में लार्वा मिला जिन्हें नष्ट किया।

ब्लड बैंक का विकट हाल

- शहर को प्लेटलेट्स देने की कमान अभी मानव सेवा समिति का ब्लड बैंक ही संभाल रहा है।
- समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक 1996 से यह बैंक काम कर रहा है, लेकिन अब तक डेंगू की इतनी बुरी हालत नहीं देखी है।
- सितंबर मध्य तक 48 घंटे में 100 यूनिट तक प्लेटलेट्स जा रहे थे, जो अब डबल हो गए हैं।
- 48 घंटे में 200 यूनिट से ज्यादा प्लेटलेट्स की डिमांड है। अध्यक्ष मोहन मुरलीवाला ने बताया रविवार को 149 यूनिट, सोमवार को 133 यूनिट का दिया गया है।

मरीज 400 के करीब

इधर, मंगलवार को डेंगू के 5 नए केस सामने आए हैं। एलाइजा किट से 22 मरीजों की जांच की गई थी। इसके साथ अब कुल मरीजों की संख्या 381 हो गई है जो रिकॉर्ड है।

लार्वा ना पनपने दें

सावधान रहने की जरूरत है। अपील है कि लार्वा ना पनपने दें।
डॉ. प्रमोद प्रजापति, जिला मलेरिया अधिकारी भास्कर

दै. भास्कर 29/9/21

जो छूटे हैं उनके घर जाकर टीका लगाओ- कलेक्टर

रतलाम, नप्र। कोविड-19 टीकाकरण के अभियान में अभी भी जो लोग कोविड का टीका लगाने से बचे है उनके घर जाकर पता किया जाए और अगर मिल जाएं तो ऐसे लोगों को टीके लगवाया जाएं।

ये निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दिए। रतलाम जिले में कल टीकाकरण अभियान को महाअभियान के रूप में संचालित कर पहला टीका लगाने से बचे लोगो को प्राथमिकता के तौर पर टीका लगाया। इस महाअभियान का जायजा लेने के लिए कलेक्टर कल पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के साथ सैलाना पहुंचे। बालक हायर सेकेंडरी स्कूल पर अभियान का जायजा लिया। मौजूद स्टॉफ ने बताया कि लक्ष्य के अनुरूप यहां शत-प्रतिशत टीकाकरण किया जा चुका है। यहां से वे कुमावत धर्मशाला पर पहुंचे। तो देखा कि इस सेंटर पर आने वाले लोगों को तो टीका लगाया जा रहा था साथ ही सडक से गुजरने वाले वाहनों को रोककर मौजूद यात्रियों से पूछा जा रहा था कि उन्होंने अब तक टीका लगाया कि नहीं। पूछताछ में जिन लोगों को टीके नहीं लगने का पता चला उन्हें वहीं पर तत्काल टीका लगवाया।कलेक्टर पास के गांव अडवानिया और भामट भी पहुंचे। अडवानिया में बताया कि पहले टीके का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब तक एक हजार चालीस लोगों को पहला टीका लग चुका है। अब केवल चवालीस लोग बाकी है। कलेक्टर ने टीकाकरण दल को निर्देश दिए कि अभी भी चवालीस लोग छूटे है उनके घर पहुंचकर पता करो और मिल जाने पर वैक्सीनेट कराओ। इस दौरान सैलाना एसडीएम कामिनी ठाकुर भी निरीक्षण दौरान मौजूद रही। भामट में टीकाकरण का जायजा लेने के बाद कलेक्टर ने गांव वालों से बातचीत कर टीके के बारे में पूछताछ की। लगे हाथ धोलावाड डेम पर भी पहुंच गए। जलभराव का जायजा लेकर डेम पर पर्यटन गतिविधियों के विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए शीघ्र ही डैम पर रोमांचक एवं एडवेंचरस गतिविधियों का आयोजन करने की बात कही। जल्द ही कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

डरे युवक को एसडीएम ने समझाया

रतलाम, नप्र। कोविड-19 का टीका लगाने से युवक इतना डरा हुआ था कि उसने अब तक टीका ही नही लगवाया। उसने खुद ने दादी को तो पहला टीका लगवा दिया था। कल फिर वह दादी को दूसरे डोज का टीका लगवाने के लिए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल गया। उसी समय एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गेहलोत जायजा लेने पहुचे और टीका लगा रही वृद्ध महिला से जाना कि यह उनका कौन सा टीका है। एसडीएम ने पूछा कि क्या वह अकेली आई है, तो बतलाया कि वह पोते के साथ आई है। जब पोते के टीके के बारे में जानकारी ली तो कहने लगी कि वह टीका लगाने से डर रहा है। उसने अभी तक पहला डोज भी नही लगवाया है। इस पर एसडीम ने वृद्ध के पोते कपिल नामक को अपने पास बुलाया और बातचीत कर समझाया। उसे टीके का महत्व बताया। केन्द्र पर मौजूद अन्य लोगो ने उसका हौसला बढ़ाया तब कही जाकर कपिल का डर दूर हो गया और ना केवल वह टीका लगाने के लिए तैयार हो गया बल्कि हाथों-हाथ टीका भी लगवा लिया। प्र.की.२८

प्रभात किरण २८/९/२१

नवभारत

पर्यटन गतिविधियों के विकास को लेकर कलेक्टर और एसपी ने किया धोलावाड़ डेम का निरीक्षण

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम तथा पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी सोमवार शाम धोलावाड़ डेम पहुंचे और जलभराव का निरीक्षण किया। डेम पर पर्यटन गतिविधियों के विकास की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत कलेक्टर ने कहा कि शीघ्र ही डेम पर रोमांचक एवं एडवेंचरस गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी।

नवभारत २७/९/२१

जिला पशु पाली क्लीनिक में पशु पालन विभाग ने मनाया विश्व रेबीज डे

325 श्वानों को निशुल्क लगाया रेबीज का टीका

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आनंद कालोनी स्थिति जिला पशु पाली क्लीनिक में मंगलवार को पशुपालन विभाग द्वारा विश्व रेबीज दिवस मनाया। शहर के 325 श्वानों को निशुल्क रेबीज का टीका लगाकर पालकों को रेबीज के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके शहर रतलाम एसडीएम अभिषेक गेहलोत प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने रेबीज के खतरे, बचाव आदि के बारे में अवगत कराते हुए रेबीज टीकाकरण पर जोर दिया। शिविर में शहर के कई समाजसेवी और श्वान पालक मौजूद रहे। पालतू श्वानों के अलावा निराश्रित श्वानों का भी टीकाकरण किया गया।

शहरवासियों व समाजसेवियों की मदद से पशु पालन विभाग की टीम द्वारा सुबह 10 से दोपहर 2:30 बजे तक टीकाकरण किया गया। डा. नवीन शुक्ला के नेतृत्व में शिविर लगा। नवाचार के तौर पर जिले में इस तरह का प्रयास पहली बार किया गया।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली। • नईदुनिया

स्वास्थ्य विभाग ने भी निकाली जागरूकता रैली : राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने भी जागरूकता रैली निकाली। जिला चिकित्सालय से रैली प्रारंभ होकर नाहरपुरा, शहीद चौक, लोकेंद्र टाकीज होते हुए जिला चिकित्सालय वापस आई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि रेबीज की बीमारी कुत्ता, बिल्ली, सियार या अन्य जानवरों के काटने से होती है। वैक्सीन ना लगवाने की दशा में रेबीज जानलेवा साबित हो सकता है। रैली में सीएमएचओ के साथ जिला टीकाकरण अधिकारी डा. वर्षा कुरील, जिला एपिडेमियोलाजिस्ट डा. गौरव बोरीवाल, हिमांशु जोशी, जिला मीडिया अधिकारी आशीष चौरसिया, डिप्टी मीडिया अधिकारी सरला वर्मा, जिला लेखा प्रबंधक सचिन वर्मा, वैभव पंड्या, अनस बेलिम, शारदा राठौर एवं अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा नर्सिंग छात्राएं शामिल रहीं।

नईदुनिया 29/9/21

माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश सभी एस डी एम को दिए

दिए गए।

विगत समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को उन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे जिनके द्वारा जल जीवन मिशन की योजनाओं में गड़बड़ी की जा रही है, परंतु कलेक्टर द्वारा इस बैठक की समीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों के विरुद्ध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि इस सप्ताह में यदि गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो उनके विरुद्ध रिपोर्ट भोपाल प्रेषित की जाएगी।

सीईओ जिला पंचायत को निर्देश दिए कि सैलाना, बाजना क्षेत्रों में मनरेगा योजना से आदिवासी परिवारों के खेतों में कार्य किए जाए, जिससे परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। आईटीआई प्राचार्य को 10 अक्टूबर के आसपास रोजगार मेला आयोजित करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत को स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज में तेजी से कार्य करने को कहा गया। कलेक्टर ने कहा कि जिले के प्रत्येक विकासखंड में दो या तीन आदर्श गांव बनाए जाएंगे।

महिला बाल विकास विभाग को सैलाना, बाजना क्षेत्रों में कुपोषण के विरुद्ध ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए। बच्चों का डाइट प्लान तैयार करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए संभवतः 5 बच्चों की जिम्मेदारी होगी जिनका कुपोषण दूर करना है।

प्रसारण

जिले में अब तक 41 इंच से अधिक वर्षा दर्ज

रतलाम। जिले में अब तक 1034.5 मिलीमीटर (41 इंच से अधिक) वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि तक औसत 1082.6 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई थी। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जिले में 48.1 मिलीमीटर वर्षा कम हुई है। जिले में गत 24 घंटो के दौरान मंगलवार सुबह 8.00 बजे तक औसत 10.2 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई। आलोट में 2 मिलीमीटर, ताल में 1 मिली मीटर, बाजना में 55 मिली मीटर, रतलाम में 13 मिली मीटर, रावटी 28 में मिली मीटर तथा सैलाना 13 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि रतलाम जिले की सामान्य वर्षा 918.3 मिलीमीटर है।

प्रसारण | 29|9|21

जनसुनवाई में प्रीति चौहान को कलेक्टर ने पात्रता पर्ची दिलवाइ

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 57 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, सीटी एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में रतलाम प्रताप नगर के समीप रहने वाली प्रीति चौहान ने आवेदन दिया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उसे राशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दुकान की सूची में उसका नाम नहीं होना बताया जा रहा है। कलेक्टर ने वहां उपस्थित सहायक खाद्य अधिकारी श्री उमेश पांडे से जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि प्रीति चौहान को तत्काल पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई जाए ताकि उसे राशन मिल सके। जिला खाद्य विभाग द्वारा प्रीति को तत्काल पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार जनसुनवाई में सहायक राजस्व निरीक्षक गोविंद ओहरी ने सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया जिस पर नगर पालिका अधिकारी नामली को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिवनगर नयागांव रतलाम के रामबाबू धाकड़ ने आवेदन दिया कि उसे रतलाम विकास प्राधिकरण की परशुराम विहार कॉलोनी में उसे आवंटित भूखंड की रजिस्ट्री करवा दी जाए तथा कब्जा दिलवाया जाए। प्लाट लॉटरी सिस्टम से उसे आवंटित हुआ है परंतु रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा सिटी तहसीलदार को कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।

इसी प्रकार आनंद विहार कॉलोनी सैलाना के अफजल पिता कयूम शाह ने आवेदन दिया कि तत्कालीन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सैलाना के प्रबंधक द्वारा पद का दुरुपयोग कर बैंकिंग नियम के विपरीत कार्य करते हुए प्रार्थी से 64 हजार रूपए बीमा संबंधी प्राप्त करने के उपरांत बीमा नहीं किया तो राशि का गबन तथा प्रार्थी के माता-पिता का स्वर्गवास होने से बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिला। इस संबंध में धोखा घड़ी षड्यंत्र राशि हड़प करने के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु आवेदन किया आवेदन पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए।

जनसुनवाई में जय भारत नगर रतलाम की तबस्सुम शेख ने आवेदन दिया कि वह खाना बनाते समय गैस से जल गई थी उसका उपचार चल रहा है। पहले सर्जरी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में हुई, सर्जरी वाले स्थान पर स्किन प्रॉब्लम होने लगे हैं। इसके लिए उपचार कराया जाना है परंतु राशि नहीं है अतः आर्थिक सहायता दी जाए। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा संबंधित डिप्टी कलेक्टर शाखा को निर्देश जारी किए।

जनसुनवाई में आवेदन आया कि ग्राम करमदी स्थित रॉयल रेसिडेंसी कॉलोनी के सीवरेज का गंदा पानी सूरजमल जैन जलाशय में मिल रहा है जिससे जलाशय दूषित हो रहा है। आवेदन पत्र द्वारा नगर निगम की सफाई शाखा को आवश्यक कार्य के लिए निर्देशित किया गया।

इसी प्रकार राजेंद्र पुरोहित निवासी कस्तूरबा नगर ने आवेदन दिया कि उनकी पुत्री के विवाह के लिए मैरिज गार्डन बुक कराया बुकिंग के टाइम 50 हजार रूप अग्रिम राशि के रूप में अदा कि थे जिसमें व्यवस्थापक द्वारा 2 हजार रूपए की रसीद असल रू में तथा शेष 30 हजार रूपए क कच्ची रसीद प्रदान की गई थी परं कोरोना गाइड लाइन के कार उक्त अवधि में उनकी पुत्री क विवाह निरस्त हो गया परंतु उनके द्वारा दी गई अग्रिम राशि मैरि गार्डन व्यवस्थापक द्वारा लौटा नहीं जा रही है।

आवेदन पर एसडीएम शह को कार्रवाई के निर्देश कलेक्ट द्वारा दिए गए। लक्ष्मी नगर हरमाल रोड निवासी अकरम मंसूरी द्वार बीपीएल राशन कार्ड बनवाने हे आवेदन दिया गया जिस प एसडीएम सिटी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अवन्तिक

अवन्तिका। २५/७/२१

निर्देश : केंद्र ने मांगा था अदालत के फैसले पर स्पष्टीकरण

विकलांगों को पदोन्नति में आरक्षण का आदेश चार माह में करें लागू : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली @ पत्रिका. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह 4 महीने के भीतर विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के निर्देश जारी करे। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने के केंद्र के आवेदन पर यह निर्देश जारी किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले में कोई अस्पष्टता नहीं है। इसलिए स्पष्टीकरण जारी करने का कोई कारण नहीं दिखता। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 लागू हुए पांच वर्ष बीत चुके हैं। बावजूद इसके इनकी पदोन्नतियों के संदर्भ में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। इससे आदेश के कार्यान्वयन में देर हो रही है। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण मांगने वाला सरकार का आवेदन फैसले को कमजोर करने का एक और प्रयास है। पत्रिका

एएसजी का तर्क

एएसजी ने तर्क दिया, पदोन्नति में आरक्षण के लाभ के विस्तार से पहले योग्यता, दक्षता, प्रतिनिधित्व पर्याप्तता सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसा न होने पर कई व्यावहारिक समस्याएं पैदा होंगी।

पत्रिका 29/9/21

अब डोनर के बदले मिलेगी प्लेटलेट्स

डेंगू के पांच नए मरीज, दो महीने से प्लेटलेट्स उपलब्ध करा रही मानव सेवा समिति हो रही असमर्थ

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में डेंगू के नए मामले लगातार मिल रहे हैं। मंगलवार को भी एलाइजा जांच की 22 रिपोर्ट में पांच नए डेंगू के मामले मिले, जबकि किट उपलब्ध नहीं होने से मेडिकल कालेज में एलाइजा जांच नहीं हुई। वहीं दो महीने से डेंगू एवं वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों को प्लेटलेट्स उपलब्ध करा रही सामाजिक संस्था मानव सेवा समिति अब प्लेटलेट्स देने में असमर्थ होने लगी है।

मंगलवार को समिति के अध्यक्ष मोहनलाल पाटीदार (मुरलीवाला) ने सूचना जारी करते हुए कहा कि वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर के रूप में डेंगू का प्रकोप शहर व जिले में भी जारी है। प्लेटलेट्स के लिए फ्रेश डोनर की आवश्कता पड़ती है। अभी तक हम किसी तरह इंतजाम करते रहे, लेकिन अब डेंगू के मरीज के लिए प्लेटलेट्स तभी दी जाएगी, जब उसके लिए साथ में डोनर होंगे।

समिति द्वारा मंगलवार को भी 102 लोगों को प्लेटलेट्स दिए गए। सोमवार का आंकड़ा भी 100 के पार था। बुधवार से नया नियम लागू हो जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने प्लेटलेट्स लेने के लिए आने के दौरान साथ में डोनर लेकर आने की अपील की है। चर्चा के दौरान जावरा विधायक डा. राजेंद्र पांडे, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्रसिंह लुनेरा आदि उपस्थित रहे।

मानव सेवा समिति में प्लानिंग करते हुए पदाधिकारी व सदस्य। • नईदुनिया

शहर में कीटनाशक छिड़काव के लिए निकली टीम। • नईदुनिया

चार सौ पहुंच गया आंकड़ा

जिले में इस साल एलाइजा जांच में 400 मरीज डेंगू पाजिटिव मिले। मंगलवार को मिले पांचों मरीज शहर के है। इधर एंटीजन किट जांच में भी 25 से अधिक मरीज मिले। जिनमें जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज और निजी अस्पताल के मरीज शामिल है। जिले में अब डेंगू के इतने मामले कभी नहीं मिले थे। 2018 में भी डेंगू का प्रकोप आया था, लेकिन इससे कम मामले सामने आए थे। ब्लड बैंक के रिकार्ड के आनुसार प्लेटलेट्स की डिमांड भी इस तरह पहले कभी नहीं थी।

56 घरों में लार्वा मिला

मंगलवार को भी शहर में 470 घरों का सर्वे किया गया, जिनमें 56 घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट कराया गया। सहायक जिला मलेरिया अधिकारी एसएन बसुनिया ने बताया कि शहर में सर्वे के साथ फागिंग चल रही है। जहां मरीज मिलते है, वहां विशेष सर्वे के साथ दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। लार्वा नष्टीकरण, फागिंग चल रही है।

नईदुनिया २९/९/२१

जिला स्तरीय जनसुनवाई में

आवेदक को कलेक्टर ने तत्काल पात्रता पर्ची दिलवाई

प्रसारण न्यूज • रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 57 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, सीटी एसडीएम अभिषेक गहलोत तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में रतलाम प्रताप नगर के समीप रहने वाली प्रीति चौहान ने आवेदन दिया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उसे राशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दुकान की सूची में उसका नाम नहीं होना बताया जा रहा है। कलेक्टर ने वहां उपस्थित सहायक खाद्य अधिकारी उमेश पांडे से जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि प्रीति चौहान को तत्काल पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई जाए ताकि उसे राशन मिल सके। जिला खाद्य विभाग द्वारा प्रीति को तत्काल पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई गई।

इसी प्रकार जनसुनवाई में सहायक राजस्व निरीक्षक गोविंद ओहरी ने सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया, जिस पर नगर पालिका अधिकारी नामली को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिवनगर नयागांव रतलाम के रामबाबू धाकड़ ने आवेदन दिया कि उसे रतलाम विकास प्राधिकरण की परशुराम विहार कॉलोनी में उसे आवंटित भूखंड की रजिस्ट्री करवा दी जाए तथा कब्जा दिलवाया जाए। प्लाट लॉटरी सिस्टम से उसे आवंटित हुआ है, परंतु रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा सिटी तहसीलदार को कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।

इसी प्रकार आनंद विहार कॉलोनी सैलाना के अफजल पिता कयूम शाह ने आवेदन दिया कि तत्कालीन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सैलाना के प्रबंधक द्वारा पद का दुरुपयोग कर बैंकिंग नियम के विपरीत कार्य करते हुए प्रार्थी से 64000 रूपए बीमा संबंधी प्राप्त करने के उपरांत बीमा नहीं किया तो राशि का गबन तथा प्रार्थी के माता-पिता का स्वर्गवास होने से बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिला। इस संबंध में धोखाधड़ी षड्यंत्र राशि हड़प करने के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु आवेदन किया आवेदन पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए।

जनसुनवाई में जय भारत नगर रतलाम की तबस्सुम शेख ने आवेदन दिया कि वह खाना बनाते समय गैस से जल गई थी, उसका उपचार चल रहा है। पहले सर्जरी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में हुई, सर्जरी वाले स्थान पर स्किन प्रॉब्लम होने लगे हैं। इसके लिए उपचार कराया जाना है, परंतु राशि नहीं है अतः आर्थिक सहायता दी जाए। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा संबंधित डिप्टी कलेक्टर शाखा को निर्देश जारी किए।

जनसुनवाई में आवेदन आया कि ग्राम करमदी स्थित रॉयल रेसिडेंसी कॉलोनी के सीवरेज का गंदा पानी सूरजमल जैन जलाशय में मिल रहा है, जिससे जलाशय दूषित हो रहा है। आवेदन पत्र द्वारा नगर निगम की सफाई शाखा को आवश्यक कार्य के लिए निर्देशित किया गया।

इसी प्रकार राजेंद्र पुरोहित निवासी कस्तूरबा नगर ने आवेदन दिया कि उनकी पुत्री के विवाह के लिए मैरिज गार्डन बुक कराया था बुकिंग के टाइम 50 हजार रूपए अग्रिम राशि के रूप में अदा किए थे, जिसमें व्यवस्थापक द्वारा 20 हजार रूपए की रसीद असल रूप में तथा शेष 30 हजार रूपए की कच्ची रसीद प्रदान की गई थी, परंतु कोरोना गाइड लाइन के कारण उक्त अवधि में उनकी पुत्री का विवाह निरस्त हो गया, परंतु उनके द्वारा दी गई अग्रिम राशि मैरिज गार्डन व्यवस्थापक द्वारा लौटाई नहीं जा रही है। आवेदन पर एस डी एम शहर को कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। लक्ष्मी नगर हरमाला रोड़ निवासी अकरम मंसूरी द्वारा बी पी एल राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन दिया गया, जिस पर एसडीएम सिटी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रसारण

प्रसारण । २९/६/२१

माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को दिए किया पाबंद

कलेक्टोरेट में टीएल बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम। ● नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि माफियाओं तथा अवैध कालोनाइजरों के विरुद्ध कार्रवाई करें। लोक निर्माण विभाग को शहर की सड़कों की दुरुस्ती का प्लान करने के निर्देश दिए। सड़क विकास निगम के अधिकारी को महू- नीमच रोड पर गड्ढों की दुरुस्ती के लिए कहा गया।

जावरा एसडीएम ने बताया कि उनके द्वारा जावरा शहर तथा आसपास अवैध कालोनाइजरों, माफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है। कलेक्टर द्वारा सभी माफियाओं के विरुद्ध एफआइआर करने के निर्देश दिए गए। सैलाना एसडीएम ने बताया कि रावटी में भी नोटिस जारी किए गए हैं। आलोट एसडीएम को भी एफआइआर करने के निर्देश दिए गए। गत समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को उन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जिनके द्वारा जल जीवन मिशन की योजनाओं में गड़बड़ी की जा रही है, परंतु कलेक्टर द्वारा इस बैठक की समीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों के विरुद्ध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी जताई। कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि इस सप्ताह में यदि गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो उनके विरुद्ध रिपोर्ट भोपाल प्रेषित की जाएगी। सीईओ जिला पंचायत को निर्देश दिए कि सैलाना, बाजना क्षेत्रों में

मनरेगा योजना से आदिवासी परि
के खेतों में कार्य किए जाए। आइटी
प्राचार्य को 10 अक्टूबर के आस
रोजगार मेला आयोजित करने के नि
दिए। जिला पंचायत को स्वयं सहा
समूहों के बैंक लिंकेज में तेजी से
करने को कहा गया। कलेक्टर ने कहा
जिले के प्रत्येक विकासखंड में दो या
आदर्श गांव बनाए जाएंगे। महिला
विकास विभाग को सैलाना, बाजना
में कुपोषण के विरुद्ध ठोस योजना
के निर्देश दिए। बच्चों का डाइट
तैयार करने को कहा। कलेक्टर ने
कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
लिए संभवत: पांच बच्चों की जिम्मे
होगी। बैठक में अपर कलेक्टर एम
आर्य, सीईओ जिला पंचायत ज
भिड़े, निगमायुक्त सोमनाथ झा
आदि उपस्थित थे।

नईदुनिया २७/९/२१